

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 764 / FP/UK/Others/44884/2020 देहरादून: दिनांक: 08 सितम्बर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद- देहरादून में जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण किये जाने हेतु 87.0815 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

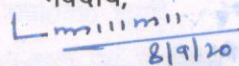
(Online Proposal No- FP/UK/Others/44884/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 87.0815 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि Rajaji National Park के (ESZ) के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में NBWL की अनुमति पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के FC Division नई दिल्ली को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,



(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/Others/44884/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन जन्तु प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
5. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण।

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

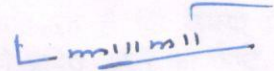
परियोजना का नाम:- जनपद- देहरादून में जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण किये जाने हेतु 87.0815 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/Others/44884/2020)

जनपद- देहरादून में जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण किये जाने हेतु 87.0815 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण हेतु 87.0815 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को दिये जाने के सम्बन्ध में वन भूमि का भारतीय वन सर्वेक्षण को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 87.0815 हे० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-देहरादून/प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि Rajaji National Park के (ESZ) के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में NBWL की अनुमति पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:
हस्ताक्षर:



(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

(डी०जे०के० शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ०सी०)
उत्तराखण्ड, देहरादून

तिथि : ०४/०९/२०२०

स्थान : देहरादून